न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 268/2024
अनवान : –

1. जोगेन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. सुरेश कुमार पुत्र शारदा पुत्री विद्यादेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. रणजीत पुत्र शारदा पुत्री विद्यादेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. बंशीलाल पुत्र शारदा पुत्री विद्यादेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. राजबाला पुत्री ओमप्रकाश जाति खाती निवासी राजपुरीया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः – 08/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 775/775 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.2980 है0 भूमि में से 2099/6298 हिस्सा भूमि विद्यादेवी पत्नी अमीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व रोही मोजा भूकरका के खाता संख्या 55/57 के कुल खसरे 2 का कुल क्षैत्रफल 8.3340 है. भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण का पिता है अपने हिस्से का बेचान पूर्व में कर चुका है तथा मुताबीकं पारिवारीक समझोता अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने पुत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुका है वा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो कि वादीगण की मृतक बुआ के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है वा प्रतिवादी संख्या 5 जो की वादीगण की बहिन है वह उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है व अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि में है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है जिसके पश्चात् मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 775/775 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.2980 है0 भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

से 2099/6298 हिस्सा भूमि पर वादीगण 1 ता 2 ब.हि.ब काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 775 की कुल 6.2980 हैक्ट 2099/6298 वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विद्या देवी के नाम दर्ज है जो की वादीगण की दादी है विद्या देवी पतनी अमीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण विद्या देवी, वारिसान प्रमाण पत्र बहक विद्या देवी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 775 की कुल 6.2980 हैक्ट 2099/6298 वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विद्या देवी के नाम दर्ज है जो की वादीगण की दादी है विद्या देवी पत्नी अमीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण का पिता है अपने हिस्से का बेचान पूर्व में कर चुका है तथा मुताबीक पारिवारीक समझोता अपना जो भी हक व हि[illegible]क्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने पुत्रो के [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो कि वादीगण की मृतक बुआ के वारिस है उपरोक्त [illegible] में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है वा प्रतिवादी संख्या 5 जो की वादीगण की बहिन है वह उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है व अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि में है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है जिसके पश्चात् मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 775/775 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.2980 है0 भूमि में से 2099/6298 हिस्सा भूमि पर वादीगण 1 ता 2 ब.हि.ब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 18/15 के खसरा नं. 158 की कुल तादादी 1.6690 है0 भूमि एवं खाता संख्या 3/2 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1750 है0 भूमि में से 3503/15175 हिस्सा भूमि केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का दादी है केशर पत्नी परतुराम का देहान्त हो चुका है तथा केशर पत्नी परतुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 18 है व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 है जो केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 18 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 को तर्क किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 का जो भी हक हिस्सा है उन्हे दिया जा रहा है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक केशर देवी के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 775/775 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.2980 है0 भूमि में से 2099/6298 हिस्सा भूमि में विद्यादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 268 / 2024
अनवान : –

1. जोगेन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. सुरेश कुमार पुत्र शारदा पुत्री विद्यादेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. रणजीत पुत्र शारदा पुत्री विद्यादेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. बंशीलाल पुत्र शारदा पुत्री विद्यादेवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. राजबाला पुत्री ओमप्रकाश जाति खाती निवासी राजपुरीया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 268 सन 2024 निर्णय दिनांक –08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 775 / 775 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.2980 है0 भूमि में से 2099 / 6298 हिस्सा भूमि में विद्यादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:16 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर